न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं0 : 08/2019

1. गोपीचंद पुत्र महीपालसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. महीपाल पुत्र माईधन जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. पवन कुमार पुत्र महीपालसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान
3. सिलोचना पुत्री महीपालसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : – घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री प्रभुराम गोदारा : वादी
वकील श्री संदीप गोदारा : प्रतिवादीगण
निर्णय **दिनांक : 21.2.19**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्रांव मोठसरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं0 71/69 के खसरा सं0 1 की 1.707 है0, खसरा सं0 3 की 3.187 है0, खसरा सं0 325/3 की 0.127 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महीपाल के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार गांव अनूपशहर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 246/230 के खसरा सं0 20 की 5.1850 है0, खसरा सं0 684 की 0.063 है0 खसरा सं0 727 की 3.2370 है0 खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी महीपाल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो वादी की दादालाई कृषि भूमि है।

रोही मौजा मोठसरा में जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार खाता सं0 70/68 के खसरा सं0 24 की 3.642 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 की 1/4 हिस्सा खरीदशुदा कृषि भूमि है जो वादी एवं प्रतिवादी ने उक्त दादालाई कृषि भूमि की आय से ही खरीद की थी जो उनकी संयुक्त आय से अर्जित की गई सहदायिकी सम्पति है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 व 2071–74 संलग्न दावा है।

वादी गोपीचंद, प्रतिवादी सं0 2 व 3, प्रतिवादी महीपाल के पुत्र–पुत्री है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। परन्तु प्रतिवादी सं0 1 महीपाल परिवार का कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा उसके नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में भूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्रतिवादीया सं0 3 सिलोचना जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की सगी बहन है तथा प्रतिवादी सं0 1 की पुत्री है का भी उक्त भूमि दादालाई होने के कारण हक व हिस्सा निहित है चूंकि प्रतिवादी सं0 3 सिलोचना विवाहित है तथा

उसके विवाह की सारी जिम्मेदारियां एवं वैवाहिक खर्च वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने ही मिलजुल कर किया था, इसलिए प्रतिवादी सिलोचना ने उपर वर्णित कृषि भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा बनता था, वह वादी व प्रतिवादी सं0 2 के हक में तर्क कर दिया है। इसलिए प्रतिवादी सं0 3 सिलोचना का उक्त कृषि भूमि में हिस्सा शुन्य हो गया है।

वादी व प्रतिवादीगण का आज से दो वर्ष पूर्व वाहमी बंटवारा हो गया है जिसके अनुसार रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 71/69 व रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 246/230 की सम्पूर्ण भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में आई है जिसमें प्रतिवादिया सं0 3 ने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के हक में तर्क कर दिऐ जाने के कारण इस कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 का हक व हिस्सा शेष रह गया है और इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 इस पर काबिज है। रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 70/68 के खसरा सं0 24 के 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में आई है और इसी अनुसार वे काबिज है।

वाद पेश होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीया सं0 3 सिलोचना ने जबाब पेश किया एवं वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी गोपीचंद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम अनूपशहर खाता सं0 246/230 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम मोठसरा खाता सं0 70/68 व 71/69 सम्वत् 2073 से 76 की प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मोठसरा सम्वत् 2053 प्रदर्श 3, फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम अनूपशहर सम्वत् 2055 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है व दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। परन्तु प्रतिवादी सं0 1 महीपाल परिवार का कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा उसके नाम खातेदारी दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण का आज से दो वर्ष पूर्व वाहमी बंटवारा हो गया है जिसके अनुसार रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 71/69 व रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 246/230 की सम्पूर्ण भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में आई है जिसमें प्रतिवादिया सं0 3 ने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के हक में तर्क कर दिया। इस कारण वाद कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 का हक व हिस्सा शेष रह गया है और इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 इस पर काबिज है।

रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 70/68 के खसरा सं0 24 के 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में आई है और इसी अनुसार वे काबिज है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम अनूपशहर व मोठसरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना व पूर्व में वाद भूमि बाबत वाहमी

बंटवारा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मोठसरा सम्वत् 2053 प्रदर्श 3, फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम अनूपशहर सम्वत् 2055 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा माईधन वल्द रेखा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एंव मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वाद भूमि के वाहमी बंटवारा होने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 70/68 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा यथावत् रखा जाकर अन्य कृषि भूमि जो कि रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 246/230 व ग्राम मोठसरा के खाता सं0 71/69 में स्थित है को वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने पर सहमत है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति के किये गये राजीनामा में पक्षकार नहीं बनाई गई है प्रतिवादीया सं0 3 द्वारा जबाबदावा पेश किया गया है, इसलिए प्रतिवादीया सं0 3 के हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम दर्ज रखा जाना न्यायोचित होगा।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्रांव मोठसरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं0 71/69 के खसरा सं0 1 की 1.7070 है0, खसरा सं0 3 की 3.1870 है0, खसरा सं0 325/3 की 0.1270 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महीपाल के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 दोनों 3/16 हिस्सा के बहिस्सा बराबर व प्रतिवादिया सं0 3 सिलोचना 1/16 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार गांव अनूपशहर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 246/230 के खसरा सं0 20 की 5.1850 है0, खसरा सं0 684 की 0.063 है0 खसरा सं0 727 की 3.2370 है0 खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी महीपाल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों 3/16 हिस्सा के बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीया सं0 3 सिलोचना 1/16 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है।

चूंकि वाद कृषि भूमि ग्राम अनुपशहर के खाता सं0 246/230 व ग्राम मोठसरा के खाता सं0 71/69 से प्रतिवादी सं0 1 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी 2 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 3/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादिया सं0 3 सिलोचना के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं0 : 08/2019

1. गोपीचंद पुत्र महीपालसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. महीपाल पुत्र माईधन जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. पवन कुमार पुत्र महीपालसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान
3. सिलोचना पुत्री महीपालसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रभुराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्रांव मोठसरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं0 71/69 के खसरा सं0 1 की 1.7070 है0, खसरा सं0 3 की 3.1870 है0, खसरा सं0 325/3 की 0.1270 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महीपाल के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों 3/16 हिस्सा के बहिस्सा बराबर व प्रतिवादिया सं0 3 सिलोचना 1/16 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार गांव अनूपशहर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 246/230 के खसरा सं0 20 की 5.1850 है0, खसरा सं0 684 की 0.063 है0 खसरा सं0 727 की 3.2370 है0 खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी महीपाल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों 3/16 हिस्सा के बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीया सं0 3 सिलोचना 1/16 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है।

चूंकि वाद कृषि भूमि ग्राम अनुपशहर के खाता सं0 246/230 व ग्राम मोठसरा के खाता सं0 71/69 से प्रतिवादी सं0 1 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी 2 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 3/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादिया सं0 3 सिलोचना के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़